अध्याय XVII

उच्च शक्ति प्रेषित्र

प्रस्तावना

17.1.1. इस अध्याय में जिन उच्च शक्ति प्रेषित्रों का वर्णन किया जा रहा है, वे स्वतन्त्र ट्रांसमिटिंग संस्थापनाएं हैं जिनका अध्यक्ष अधीक्षक अभियंता होता है। ये शार्ट वेव और/या मीडियम वेव ट्रांसमिटरों से सज्जित होते हैं, इसके साथ विस्तृत एरियल सिस्टम भी होता है जो आकाशवाणी की विदेश, गृह और समाचार सेवा को पूरा करता है। ऐसे प्रत्येक केन्द्र का प्रशासन चलाने के लिए अलग कार्यालय बनाए गए हैं। ट्रांसमिटरों का विस्तृत विवरण, इन केन्द्रों के साइट का एरिया आदि अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

17.1.2. इन केन्द्रों का कार्य नजदीक के स्टुडियों केन्द्र और/या दिल्ली स्टुडियो में तैयार कार्यक्रमों को ट्रांसमिट करना है। मूल रूप में कार्यक्रम तैयार करने वाले केन्द्र, पी. एण्ड टी. विभाग द्वारा प्रदान किए गए समुचित कार्यक्रम सर्किटों द्वारा इन ट्रांसमिटरों के साथ जुड़े होते हैं। इसके सिवाए, कई केन्द्रों पर एफ.एम. लिंक भी उपलब्ध है जो कार्यक्रम सर्किटों के फेल हो जाने की अवस्था में स्टुडियो और ट्रांसमिटरों को लिंक करते हैं। यह सुविधा सीमित सुविधा है और सामान्य कार्यक्रम सर्किटों के फेल हो जाने की अवस्था में स्टुडियो और पर प्रसारित करने के लिए एफ.एम. लिंक पर केवल एक या दो कार्यक्रम ही चुनना संभव है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली से रिले कार्यक्रम चिनसूरा, राजकोट और अलीगढ़ पर स्थित आर.एन.- ये टर्मिनलों के माध्यम से अन्तरिक्ष के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं।

17.1.3. मुख्य ट्रांसमिटिंग उपस्कर के अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र पर सहायक उपस्कर भी लगाए जाते हैं जैसे पावर सप्लाई उपस्कर, एयर-कण्डीशन प्लांट, स्पीच उपस्कर आदि। प्रत्येक ट्रांसमिटिंग केन्द्र पर, एक आपातकालीन स्टुडियो सेट अप (सहायक उपस्करों सहित) उपलब्ध होता है। ताकि सम्बन्धित स्टुडियो केन्द्र से कार्यक्रम लाइनों के पूरी तरह फेल हो जाने पर पहले से रिकार्ड किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित किया जा सके। आपातकाल में प्रत्येक केन्द्र से सजीव कार्यक्रम (केवल एक) को प्रसारित करने की सीमित सुविधा भी दी गई है।

17.1.4. संगठन

उच्च शक्ति प्रेषित, आकाशवाणी खामपुर, किंग्जवे, अलीगढ़, मलाड, आवड़ी, चिनसुरा, राजकोट और अलेप्पी में कार्यालयाध्यक्ष अधीक्षक अभियंता है।

17.1.5. तकनीकी साइड में कार्यालयाध्यक्ष की मदद करने के लिए केन्द्र इंजीनियर, सहायक केन्द्र इंजीनियर और सहायक इंजीनियर आदि होते हैं।

17.1.6 इसके अतिरिक्त, इन केन्द्रों पर परिचालन कार्य के लिए बरिष्ठ इंजीनियरी, सहायक इंजीनियरी सहायक भी उपलब्ध होते हैं (उच्च शक्ति प्रेषित अलेप्पी को छोड़कर जहां पर वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक के पद नहीं हैं) प्रत्येक केन्द्र पर, जरूरत अनुसार, तकनीशियन, मास्ट तकनीशियन, डीज़ल इंजिन ड्राइवर/डीज़ल तकनीशियन, मोटर ड्राइवर और क्लीनर आदि भी दिए जाते हैं।

17.1.7. सामान्य प्रशासन के लिए, 'कार्यालयाध्यक्ष' की मदद के लिए, एक प्रशासन अधिकारी, प्रधान लिपिक [मोगरा (चिनसुरा) को छोड़कर] लेखाकार, स्टोरकीपर, लिपिक वर्ग स्टाफ और सुरक्षा गार्ड और वाच एण्ड वार्ड स्टाफ जरूरत अनुसार दिया जाता है।

17.1.8. स्टाफ की ड्यूटी और जिम्मेवारियां

नीचे प्रत्येक पद के सामने उसके कर्त्तव्यों को दिया गया जिन्हें एकदम परिपूर्ण नहीं माना जा सकता। कार्यालयाध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सेवा के हित में इन कर्तव्यों में हल्का फेर-फेर कर सकता है। तथापि बड़े परिवर्तन के लिए महानिदेशक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

CHAPTER XVII

HIGH POWER TRANSMITTERS

Introductory

17.1.1 The High Power Transmitting stations dealt with in this Chapter are independent transmitting installations headed by a Superintending Engineer. These are equipped with shortwave and/or medium wave transmitters together with extensive aerial systems to serve the external, home and news services of AIR. Separate offices have been constituted to administer each of these centres. The details of transmitters, area of site, etc., for these centres are indicated in Annexure 1.

17.1.2 The function of these centres is to transmit the programmes produced at the nearby studio centres and/or at Delhi studios. The programme originating centres are connected to these transmitting centres by adequate number of programme circuits provided by the P & T deptt. In addition F.M. link is also available at some centres linking the studio and transmitting centres in case of failure of the programme circuits. The facility is, however, a limited one and in case of failure of normal programme circuits, it is possible to choose one or two programmes only over the FM link for broadcast on the appropriate transmitter chain. Further, relays from Delhi can be obtained via satellite through R.N. terminals at Chinsurah, Rajkot and Aligarh.

17.1.3. In addition to the main transmitting equipment, ancillary equipment, such as power supply equipment, air-conditioning plants, speech equipment etc. are also installed at each centre. An emergency studio set up with associated equipments is also available at each of these transmitting centres to broadcast prerecorded programmes in case of total failure of programme, lines from the concerned studio centre. Limited facilities for live programmes (one only) to be broadcast from such centres have also been provided for use in emergency.

17.1.4. Organisation

Superintending Engineer is the 'Head of Office' of the High Power Transmitters at Khampur, Kingsway, Aligarh, Malad, Avadi, Chinsurah, Rajkot and Alleppey.

17.1.5. The 'Head of Office' is assisted by Station Engineer(s), Asstt. Station Engineers(s) and Asstt. Engineers on the technical side.

17.1.6. In addition, Senior Engineering Assistants and Engineering Assistants are a'so available at all these centres for operational work, (except that there are no posts of Senior Engineering Assistants at H.P.T. A.I.R. Alleppey). Senior Technicians, Technicians, Mast Technicians, Diesel Engine Drivers/Diesel Technicians, Motor Drivers and Cleaners as required are also provided at each of these centres.

17.1.7. For general administration, the 'Head of Office' is assisted by an Administrative Officer, Head Clerk except at Mogra (Chinsurah), Accountant, Storekeeper(s) clerical staff and security staff, as required alongwith watch and ward staff.

Duties and Responsibilities of Staff

17.1.8. The duties mentioned below against each post, should not be deemed to be exhaustive. The Head of Office is authorised to order minor deviations in the interest of service. Major changes, however, require the approval of the Directorate General.

(क) अधीक्षक इंजीनियर

'कार्यालयाध्यक्ष' होने के नाते वह संगठन की सभी ब्रांचों को सफल और सुचारु रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार है।

(ख) प्रशासन अधिकारी

प्रशासन अधिकारी, प्रशासन और लेखा अनुभाग का प्रभारी होता है और वह आदान एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उसकी ड्यूटी वही होती है जो आकाशवाणी केन्द्र पर एक अन्य प्रशासन अधिकारी की ड्यूटी होती है। इन मामलों में वह सीधे कार्यालयाध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है।

(ग) मास्ट तकनीशियन

इसकी मुख्य ड्यूटी इस प्रकार है:--

- (i) 150 फुट तक के मास्ट पुर्जों को जोड़ना एवं उसे खड़ा करना।
- (ii) मास्टों या अन्य संरचनाओं को चैक करना, उनकी मरम्मत करना और उन पर रंग करना जिनकी ऊंचाई 1000 फुट तक हो सकती है।
- (iii) एरियल मैचिंग और उससे सम्बन्धित मापन आदि में इंजीनियरिंग स्टाफ को मदद देना।
- (iv) गुई, एरियल, फीडर, पोल, ओब्सट्रक्शन लाइट, केबल आदि की संस्थापना एवं उनका रख-रखाव।
- (v) ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य की क्वालिटी और उसके सहीपन को चैक करना।
- (vi) मास्ट लाइटों को बदलना या मरम्मत करना।
- (vii) मास्ट और फीडर से संबंधित अन्य कार्य।

(घ) लेखाकार/प्रधान लिपिक

इनके वही कर्तव्य हैं जो कि आकाशवाणी के एक केन्द्र पर किसी लेखाकार/प्रधान लिपिक के होते हैं।

(ड) विभिन्न वर्गों के पदों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां जिनका यहां पर विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है– उनके कर्तव्य एवं जिम्मेवारियां वही हैं जो कि उनके समरूप पदधारी की एक आकाशवाणी केन्द्र पर हैं।

17.2.1. यात्रा भत्ता

(i) उच्च शक्ति प्रेषितों के कार्यालयाध्यक्षों की ड्यूटी का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत गणराज्य है, जैसा कि अनुलग्नक-11 में दिया गया है।

(ii) उच्च शाक्ति प्रेषित, दिल्ली, खामपुर, बम्बई, चिनसुरा और आवड़ी के कार्यालयाध्यक्षों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करने के लिए महीने में दो बार ड्यूटी पर संबंधित जोनल मुख्य इंजीनियर के कार्यालय में दौरे पर जा सकते हैं। प्राधिकारः (आ.महा. ज्ञापन सं. 15/89/69- ए. एंड जी. दिनांक 26.12.60)

(iii) उच्च शक्ति प्रेषितों के कार्यालयाध्यक्ष अपने यात्रा भत्ते और अपने अधीनस्थ स्टाफ के यात्रा भत्ते के लिए, एस.आर. 191 के उद्देश्य के लिए नियंत्रक अधिकारी होते हैं।

प्राधिकारः (सू. और प्र. मंत्रालय पत्र सं. 6/2/71- बी (पी) दिनांक 20.10.71)

17.2.2. आकस्मिक प्रभार

उच्च शक्ति प्रेषित्रों के अधीक्षक इंजीनियरों को यह अधिकार दिया गया है कि वे सभी प्रकार के आकस्मिक खर्च का भुगतान चैक से करें। वे चैक द्वारा किए गए भुगतान का एक मासिक लेखा, संबंधित वेतन व लेखा कार्यालय को लेखा मास के अगले मास के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे। लेखों के समर्थन में वे प्रदत्त वाऊचर आदि शी लगाएंगे।

प्राधिकार: (सू. और प्र. मंत्रालय पत्र सं. 9 (5)/65- बी. एंड ए. दिनांक 14 सितम्बर 1966)

a) Superintending Engineer

As Head of Office, he is responsible for the smooth and efficient functioning of the organisation in all the Branches.

b) Administrative Officer

The administrative Officer is incharge of Administration and Accounts and functions as the Drawing and Disbursing Officer. His duties correspond to those of his counterpart in an All India Radio Station. He is directly responsible to the Head of Office in these matters.

c) Mast Technician

His principal duties are -

- i) To assemble and instal masts upto a height of 150 feet.
- ii) To check, repair and paint masts or other structures upto a height of 1000 ft.
- iii) To assist engineering staff in aerial matching and associated measurements. iv) Installation and maintenance of guys, aerials, feeders, poles, obstruction lights, cables, etc.
- v) To check up correctness and quality of work done by Contractors.
- vi) To replace or repair mast lights.
- vii) Any other items of work relating to mast and feeders.

d) Accountant/Head Clerk

Their duties correspond to those of their counterpart in an All India Radio Station.

e) The duties and responsibilities of different categories of posts not specifically mentioned here correspond to those of their counterparts at a Radio Station.

17.2.1. Travelling Allowance

- i) The spheres of duty of the Heads of Office, of High Power Transmitters is whole of Indian Republic as indicated in Annexure II.
- ii) The Heads of the High Power Transmitters offices at Kingsway, Delhi, Khampur, Bombay, Chinsurah and Avadi are permitted to visit the offices of the Zonal Chief Engineer's concerned
 - twice a month on duty for discussing their problems.

(Authority: DG:AIR Memo. No.15/89/69-A & G dated 26.12.60).

iii) The Heads of Offices of the High Power Transmitters are the Controlling Officers for their own Travelling Allowance and for Travelling Allowance of the Staff subordinate to them, for the purpose of S.R. 191.

(Authority: Ministry of I&B letter No. 6/2/71-B(P) dated 20.10.71).

17.2.2. Contingent Charges

The Superintending Engineers, High Power Transmitters have been authorised to make payment of all contingent expenditure by cheques. They also render a monthly account of all payments made by cheques, duly supported by paid vouchers etc. to the Pay & Accounts Office concerned by the first week of the month following the month to which the account relates.

(Authority: Ministry of I&B letter No.9(5)/65-B&A dated the 14th September, 1966.)

आकाशवाणी नियम पुस्तक

17.2.3 वर्दियों की आपूर्ति

इस विषय पर एक अलग पुस्तिका है। कृपया उसे संदर्भ हेतु देखें।

17.2.4 उच्च शक्ति प्रेषित्रों के ट्रासमिटिंग मास्टों पर फ्यूज हुए बल्बों को बदलने के लिए पी. एंड टी. मास्ट लास्करों की सेवाओं का प्रयोग

जब आकाशवाणी मास्ट तकनीशियन उपलब्ध न हों तब उच्च शक्ति प्रेषित्रों कें ट्रासमिटिंग मास्टों पर फ्यूज हुए बल्बों को बदलने के लिए पी. एंड टी मास्ट लास्टरों की सेवाओं का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है:–

(i) आकाशवाणी, पी. एंड टी. विभाग को उनके विभाग के मास्ट लास्टरों की सेवाओं को लेने के बदले उनकी आकाशवाणी में कार्य करने की अवधि के लिए उन्हें देय वास्तविक वेतन और भत्तों (यात्रा भत्ते सहित, यदि कोई है) का ही भुगतान करेगा।

(ii) आकाशवाणी, वर्कमैन कम्पनशेसन एक्ट 1923 के अतंर्गत पी. एंड टी. के किसी वर्कमैन को कार्य निष्पादन हेतु उसी क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा जो एक वर्क मैन को आकाशवाणी द्वारा दिया जाता यदि उसे आकाशवाणी स्वयं सीधे काम पर लगाता।

प्राधिकारः (सू. और प्र. मंत्रालय पत्र संख्या 21(40)/59-बी (ए.) दिनांक 27 फरवरी 1961)

17.2.5. भण्डार

सामान स्टोरकीपर के कब्जे में रहता है। वह उनकी गणना, सुरक्षा, उन्हें उचित प्राधिकार पर जारी करने और प्राप्त करने, नियमानुसार उनके प्रयोग एवं निपटान के लिए जिम्मेवार होगा। स्टोरकीपर की वास्तविक ड्यूटी और जिम्मेवारियों का उल्लेख आकाशवाणी मैनुअल में किया गया है। ये कर्तव्य एवं जिम्मेवारियां इन केन्द्रों के स्टोरकीपरों पर भी लागू होगी। भंडार से संबंधित अध्याय मे दिए गए नियम, इन कार्यालयों पर भी लागू होंगे बशर्ते पैरा 17.2.6 में सुधार किया जाए।

17.2.6. स्टोरकीपर और लेखाकार द्वारा बनाए गए स्टोर लैजरों में दिखाई गई स्टोर की मदों के बैलेंस का समाधान संबंधित स्टोर कीपर और लेखाकार छः महीनों में एक बार करेंगे और एक रिपोर्ट कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।

17.2.7. आवासीय क्वार्टर

इस बारे में आकाशवाणी मैनुअल में संबंधित अध्याय को देखा जाए जहां पर उच्च शक्ति प्रेषित्रों और अन्य रेडियो केन्द्रों, कार्यालयों में क्वार्टरों के आवंटन के नियम दिए गए हैं।

17.2.8. सरकारी परिवहन वाहन

इस बारे में आकाशवाणी मैनुअल, खण्ड-II में संबंधित अध्याय को देखा जाए। उच्च शक्ति प्रेषित्रों पर कार्यरत स्टाफ को दी जाने वाली ट्रांसपोर्ट सुविधा के बारे में विशेष आदेश उस अध्याय के परिशिष्ट में दिए गए हैं।

17.2.9 सामान्य

आकाशवाणी मैनुअल के अन्य प्रावधान चच्च शक्ति प्रेषित्रों पर भी लागू होंगे बशर्ते कि वे विषय या प्रसंग में उनसे असंगत न हो।

104

17.2.3. Supply of Uniforms

Reference is invited to the separate pamphlet on the subject.

17.2.4. Utilisation of the services of P&T Mast Lascars for replacement of fused bulbs on Training Masts of High Power Transmitters

The services of Posts and Telegraphs Masts Lascars may be utilised on the following terms and conditions for replacement of fused bulbs on Transmitting Masts of High Power Transmitters whenever Masts Technicians of All India Radio are not available:

- i) All India Radio will pay to the Posts and Telegraphs Department the actual pay and allowances including Travelling Allowance, if any, of the Mast Lascar for the period his services are placed at their disposal.
- All India Radio will pay compensation under Workmen's Compensation Act, 1923 to any Posts & Telegraphs Workman employed in the execution of the work in respect of which they would have been liable to pay themselves the compensation, had the workman been employed by them directly.

(Authority: Ministry of I&B letter No.21(40)/59-B(A) dated 27th February, 1961).

17.2.5 Stores

The stores are in the custody of storekeepers. He is responsible for their accounting, safe custody, issue and receipt on proper authority and utilisation and disposal strictly according to rules. The actual duties and responsibilities of storekeepers are mentioned in the AIR Manual and will apply in this case also to the extent they are relevant to these centres. The rules contained in the Chapter relating to Stores will apply to these offices also subject to the modification in para 17.2.6.

17.2.6 The reconciliation of the balance items of store shown in the two sets of stores ledgers maintained by the storekeeper and Acountant shall be done by the concerned storekeeper and the accountant once in six months and a report submitted to the Head of Office.

17.2.7 Residential Quarters

Reference is invited to the relevant Chapter in AIR Manual, wherein the rules of allotment of quarters at High Power Transmitters and other Radio Stations/Offices have been enumerated.

Government Transport Vehicles

17.2.8 Reference is invited to the relevant Chapter in AIR Manual Vol. II. The Special orders regarding transport facilities to the staff working at High Power Transmitters are reproduced in the Annexure to that Chapter.

17.2.9 General

The other provisions of AIR Manuals apply to High Power Transmitters also to the extent they are not inconsistent with the subject or context.

अनुलग्नक I

(पैराग्राफ 17.1.1 देखिए)

उच्च शक्ति प्रेषित्रों के विवरण दर्शाने वाली विवरण

क्रम सं०	कार्यालय	उद्घाटन की तारीख	कालोनी का एरिया	वर्तमान ट्रांसमिटरों का विवरण	अभ्युक्तियां
 1	2	3	4	5	6 .
1.	उच्च शक्ति प्रेषित्र किंग्जवे, दिल्ली	1.5.1944	256 एकड़	दो 100 कि.वा. शार्ट वेव	पहले वाले मारकोनी 100 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर को बदल कर अब 100 कि.वा. शार्ट वेव ब्राउन बोवेरी ट्रांसंमिटर लगा दिया गया है।
				दो 20 कि.वा. शार्ट वेव दो 10 कि.वा. शार्ट वेव एक 7.5 कि.वा. शार्ट वेव 2 × 10 कि.वा. मीडियम वेव* 3 कि.वा. एफ.एम.* 10 कि.वा. शार्ट वेव*	इन सभी ट्रांसमिटरों को बदलकर चार 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगा दिए गए हैं। इसे बदलकर 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर
					लगाया जायेगा जो किंग्जवे दिल्ली में लगेगा।
				20 कि.वा. मीडियम वेव*	यह 100 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमिटर के लिए स्टैण्ड बाई का काम करता है। यह नंगली में है।
			* ये सब	ब ट्रांसमिटर माल रोड दिल्ली में लगा	ए गए हैं परन्तु ये सब अधीक्षक इंजीनियर किंग्जवे के नियं
			अधी	न काम करते हैं।	
2.	उच्च शक्ति प्रेषित्र मलाड (कर्का)	27.3.1957	230 एकड़	20 कि.वा. मीडियम वेव	7वीं योजना मे इसे बदलकर 100 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है।
	(बम्बई)			50 कि.वा. मीडियम वेव	7वीं योजना में इसे बदलकर 100 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है।
				10 कि.वा. शार्ट वेव	7वीं योजना में इसे बदलकर 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है।
				100 कि.वा. शार्ट वेव	पहले वाले मारकोनी 100 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर को पहले ही बदल कर 100 कि.वा. शार्ट वेव ब्राउन बोवेरी ट्रांसमिटर लगा दिया गया है।
3	. उच्च शक्ति प्रेषित आवड़ी (मद्रास)	22.3.1957	<u>300</u> एकड़	100 कि.वा. शार्ट वेव	पहले वाले मारकोनी 100 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर को पहले ही बदलकर 100 कि.वा. शार्ट वेव ब्राउन बोवेरी ट्रांसमिटर लगा दिया गया है।
				एक 2 × 100 कि.वा. मीडियम वेव	पहले वाले 20 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमिटर को पहले ही बदल कर 2 × 100 कि.वा. मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगा दिया गया है।
				एक 10 कि.वा. शार्ट वेव	7वीं योजना के अन्तर्गत इसे बदलकर 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाया जा रहा है।
4	4. उच्च शक्ति प्रेषित्र, खामपुर (दिल्ली)	1.1.1959	500 एकड़	दो 100 कि.वा. मीडियम वेव	ये नौवें मील पर (नंगली पूना) में दिल्ली से खामपुर जाने वाली सड़क पर स्थित है।

ANNEXURE I

(See Paragraph 17.1.1)

Statement Showing Particulars of the High Power Transmitters

SI. No.	Office	Date of Inauguration	Area of Colony	Particulars of Existing Transmitters	Remarks
1.	HPT kingsway Delhi-9	1.5.1944	256 acres	Two 100 KW SV	VThe earlier Marconi 100 kW SW Transmitters have been replaced by 100 kW SW Brown Boveri
					Transmitters
				Two 20 kW SW	All these Transmitters have been
				One 10 kW SW	replaced by Four 50 kW SW
				One 7.5 kW SW 2×10 kw MW*	Transmitters.
				3 kW FM*	
				10 kW SW*	Being replaced by 50 kW SW & will be installed at kingsway, Delhi
				20 kW MW	Acts as a standby for 100 kW MW at Nangali
					*All these Transmitters are installed
					at Mall Road, Delhi but are under
					Control of Supt. Engineer, kingsway Delhi
	HPT Malad Bombay	27.3.1957	230 acres	20 kW MW	Being replaced by 100 kW MW during 7th Plan
				50 kW MW	Being replaced by 100 kW MW during 7th Plan
				10 kW SW	Being replaced by 50 kW SW during the 7th Plan
				100 kW SW	The earlier Marconi 100 kW SW
					Transmitter has already been replac- ed by 100 kW SW Brown Boveri
3.	HPT, Avadi	22.3.1957	300	One 100 kW SW	The earlier Marconi 100 kW SW
• •	Madras		acres		Transmitter has already been replaced by 100 kW SW Brown
					Boveri Transmitter
				One 2×100 kW MW	The earlier 20 kW MW Transmitter has already been replaced by 2×100
				One 10 kW SW	kW MW Being replaced by 50 kW SW during
	UDT 1.1	1 1 1050	500		Being replaced by 50 kW SW during 7th Plan
	HPT, kham- pur, Delhi	1.1.1959	500 acres	Two 100 kW MW	These are sited at the 9th Mile (Nongli Poona) on the same road going from Delhi to khampur

106

आकाशवाणी नियम पुस्तक

क्रम सं.	कार्यालय	उद्घाटन की तारीख	कालोनी का एरिया	वर्तमान ट्रांसमिटरों का विवरण	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
				तीन 100 कि.वा. शार्ट वेव	दो 250 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर और लगाए जा रहे हैं।
				दो 50 कि.वा. शार्ट वेव	7वीं योजना में इन्हें बदलकर 100 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाए जा रहे हैं।
				दो 20 कि.वा. शार्ट वेव	7वीं योजना में इन्हें बदलकर 50 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर लगाए जा रहे हैं जो कि किंग्जवे दिल्ली में होंगे।
5.	उच्च शक्ति प्रेषित्र चिनसुरा (पश्चिम बंगाल)	22.9.1969	290 एकड़	एक सुपर पावर मीडियम वेव	इस ट्रांसमिटर को सोवियत उपस्करों के साथ 22.9.1969 को लगाया गया था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कार्यक्रमों को बीम करने के लिए एरियल सिस्टम लगाया गया है। चीन के भागों, तिब्बत, नेपाल और भूटान के कार्यक्रमों को बीम करने के लिए नार्थ बीम लगाया गया है। नान-डारैक्शनल सेट आन्तरिक सेवाओं को पूरा करते हैं।
6.	उच्च शक्ति प्रेषित्र अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	4.4.1971	823 एकड़	चार 250 कि.वा. शार्ट वेव	दो 250 कि.वा. शार्ट वेव ट्रांसमिटर 1971 में चालू किए गए थे और अन्य दो 250 कि.वा. शार्ट, वेव ट्रांसमिटर चरण-II में जोड़े गए थे, जिसके सितम्बर, 1984 में इनकी संख्या बढ़कर 4 हो गई थी। शहर का कार्यालय उच्च शक्ति प्रेषित्र कॉम्पलेक्स से 20 कि.मी. दूरी पर है।
7.	उच्च शक्ति प्रेषित्र राजकोट (गुजरात)	8.7.1971	4 एकड़ 38 गुण्ठा	एक सुपर पावर मीडियम वेव	शहर का कार्यालय उच्च शक्ति प्रेषित्र से 35 कि.मी. दूरी पर है।
8.	उच्च शक्ति प्रेषित्र अलेप्पी (केरल)	17.7.1971	34.5 एकड़	एक 100 कि.वा. मीडियम वेव	
9.	उच्च शक्ति प्रेषित्र अजमेर	31.3.1987	60 एकड़	2 × 100 कि.वा. मीडियम वेव	
10.	उच्च शक्ति प्रेषित्र नागपुर	-	226 एकड़	१०० कि.वा. मीडियम वेव	शहर का कार्यालय, उच्च शक्ति प्रेषित्र काम्पलेक्स से 32 कि.मी. दूरी पर है।

SI. No.	Office	Date of Inauguration	Area of Colony	Particulars of Existing Transmitters	Remarks
				Three 100 kW SW	Two 250 kW SW Transmitters are also being added.
				Two 50 kW SW	Being replaced by 100 kW SW during 7th Plan
				Two 20 kW SW	Being replaced by 50 kW SW during 7th Plan but to be located at Kingsway, Delhi
5.	HPT, Chinsurah2 (West Bengal	22.9.69	290 acres	One Super Power MW	The transmitter which is installed with Russian Equipment was inaugu- rated on 22.9.69. The aerial system installed is provided for beaming pro- grammes to South East Asian Countries and the North beam to parts of China, Tibet, Nepal and Bhutan and the non-directional sets cater to internal services.
	HPT, Aligarh 4 (U.P.)	.4.71	823 acres	Four 250 kW SW	Two 250 kW SW Transmitters were commissioned in 1971 & other Two 250 kWSW Transmitters added in Phase II making the no. as 4 in September, 1984. City office is 20 kms from HPT Complex
	HPT, Rajkot 8 (Gujarat)	.7.71	4 acres 38 Guntha	One Super Power M.W.	City office is 35 kms from HP,T Complex
	HPT, Alleppey 1 (Kerala)	7.7.71		One 100 kW MW	
9.		1.3.87	60 Acres	2×100 kW MW	
0	HPT, Nagpur		226 acres	1000 kW MW	City office 32 kms from HPT Complex

अनुलग्नक ।।

(पैराग्राफ 17.2.1. देखिए)

पूरक नियमों के उद्देश्यों के लिए उच्च शक्ति प्रेषित्रों पर अधीक्षक इंजीनियरों की ड्यूटी का क्षेत्र

क्रम संख्या	मुख्यालय	ड्यूटी का क्षेत्र	प्राधिकार
1.	किंग्जवे, दिल्ली	समस्त भारत	सू. और प्र. मंत्रालय का पत्र सं. 6/2/71-बी (पी.) दिनांक 20.10.1971
2.	मलाड, बम्बई	वही	वही
3.	आवड़ी, मद्रास	वही	वही
4.	खामपुर, दिल्ली	वही	वही
5.	चिनसुरा	वही	वही
5.	अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	वही	वही
7.	राजकोट (गुजरात)	वही	वही
3.	अलेप्पी (केरल)	वही	वही

ANNEXURE II

[See Paragraph 17.2.1 (i)]

Sphere of duty for purpose of Supplementary Rules of the Superintending Engineers at High Power Transmitters.

S.No. Headquarters	Authority	
1. Kingsway, Delhi	All India	Ministry of I & B letter No. 6/2/71-B(P) dt. 20.10.71
2. Malad, Bombay	All India	-do-
3. Avadi, Madras	All India	-do-
4. Khampur, Delhi	All India	-do-
5. Chinsurah (W.B.)	All India	-do-
6. Aligarh (U.P.)	All India	-do-
7. Rajkot, (Gujrat)	All India	-do-
8. Alleppey, (Kerala)	All India	-do-

अध्याय XVIII

मानीटरिंग सेवा

क्रम.सं.	विषय	पैरा
1.	इतिहास	18.1.1-5
2.	मानीर्टारेग सेवा की कवरेज और कार्य-प्रणाली	18.2.1-6
3.	मानीर्टारेग सेवा के कार्य	18.3.1-2
4.	सामान्य	18.3.3
5.	संगठन	18.3.4-7
6.	कर्तव्य एवं जिम्मेवारियां	18.3.8
7.	कर्तव्यों का क्षेत्र	18.3.9
8.	आकस्मिक खर्च	18.4.1-2
9.	स्टोर (सामान)	18.4.3
10.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	18.4.4

CHAPTER XVIII

MONITORING SERVICE

SI. No). Subject	Paras
1.	History	18.1.1-5
2.	Coverage & Working of Monitoring Service	18.2.1-6
3.	Functions of the Monitoring Service	18.3.1-2
4.	General	18.3.3
5.	Organisation	18.3.4-7
6.	Duties and Responsibilities	18.3.8
7.	Sphere of Duty	18.3.9
8.	Contingencies	18.4.1-2
9.	Stores	18.4.3
10.	Delegation of Powers	18.4.4

108

अध्याय XVIII

मानीटरिंग सेवा

18.1.1 इतिहास

सितम्बर 1939 में विश्व-युद्ध-II के छिड़ने से यह आवश्यक हो गया था कि शत्रुओं के प्रसारण पर निगरानी रखी जाए ताकि मिलिटरी आसूचना हेतु सामग्री एकत्र की जा सके जोकि प्रति प्रचार और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के विश्लेषण के लिए सहायक होगी। नवम्बर 1939 में सेवा मुख्यालय में जनरल स्टाफ ब्रांच के अन्तर्गत एक विभाग खोला गया जिसका नाम एम.आई.-VIII (मिलिटरी इन्टैलीजैन्स-VIII) रखा गया। फरवरी 1940 में इस कार्यालय को शिमला ले जाया गया। 1941 में एम.आई.-VII का नाम बदल कर मानीटरिंग सेवा कर दिया गया और इसे एक नया विभाग बना कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। युद्ध के वर्षों में इस सेवा की गतिविधियों में काफी विस्तार हुआ और 1945 तक यह सेवा 13 विदेशी प्रसारण केन्द्रों के प्रसारणों को विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में मानीटर करती थी। इसके अतिरिक्त, इस सेवा ने एक मैसेज यूनिट की स्थापना की जो कि भारतीय और ब्रिटिश युद्ध बंदियों, असैनिक नज़रबंदियों के संदेशों को मानीटर करता था और उन्हें रेड क्रास सोसाइटी की तरफ से उनके रिश्तेदारों को भेजता था। मई 1946 में मानीटरिंग सेवा को सीधे महानिदेशक आकाशवाणी के अन्तर्गत कर दिया गया।

18.1.2 मानीर्टारेग सेवा के संग्रहालय को इस बात का अभिमान है कि उसके पास विश्व युद्ध-II के दौरान बड़ी शक्तियों के मुख्य नेताओं द्वारा दिए भाषणों की रिकार्डिंग और प्रत्यंकन उपलब्ध हैं जिनमें अडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी तथा नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज के अन्य बड़े बड़े नेता सम्मिलित हैं।

18.1.3 देश की स्वतन्त्रता के बाद, मानीर्टारेग सेवा में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है और यह सेवा आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों के लिए अपनी मानीर्टारेग अनुसूची में से असंख्य प्रसारणों से सामग्री उपलब्ध कराता रहा है। आज जो हर रोज रेडियो रिपोर्ट इस कार्यालय से जारी की जाती है उसमें कमेंट्रियां और टिप्पणियां दी होती हैं जो कि समाचार एजेंसियों के डिसपैचों में नहीं होती हैं। अतः यह कमेंट्रियां और टिप्पणियां आसूचना के लिए एक अतिरिक्त साधन होती हैं और यह विभिन्न मंत्रालयों के लिए जिन्हें यह रिपोर्ट भेजी जाती है उनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के विश्लेषण का साधन होती है। ये मंत्रालय हैं – विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अन्य विभाग।

18.1.4 मानीर्टारेग सेवा कई मायनों में 'प्रथम' रही है। उदाहरणार्थ, 1967 में अफगानिस्तान के बादशाह जाहिर शाह का तख्ता पलटा गया था। मानीर्टारेग सेवा ने ही सर्वप्रथम इसे कवर किया था। विश्व के रेडियो स्टेशनों जैसे बी.बी.सी., वायस आफ अमेरिका और पाकिस्तान ने अपने प्रसारणों में समाचार का स्रोत आकाशवाणी को ही बताया। मानीर्टारेग सेवा, जिसे सरकार के कान की संज्ञा दी जा सकती है— वह 1962 में चीन-भारत युद्ध के दौरान और 1965 ओर 1971 में पाकिस्तान-भारत युद्ध के दौरान अति सतर्क रही है।

18.1.5 अप्रैल 1981 में मानीटरिंग कार्यालय को आया नगर, नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया था जहां पर इसके लिए आधुनिक एव अति परिष्कृत काम्पलैक्स बनाया गया है ताकि यह सेवा समाचार सेवा प्रभाग के साथ तत्काल और सुचारू रूप से सम्पर्क कायम कर सके। 1962 के चीन के हमले और 1965 और 1971 में पाकिस्तान के हमले के दौरान वास्तव में यह महसूस किया गया कि यह सेवा आकाशवाणी मुख्यालय के नजदीक होनी चाहिए थी ताकि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास और विश्व प्रतिक्रिया की मिनट-मिनट की खबर मिल सके।

18.2.1 मानीटरिंग सेवा की कवरेज और कार्य प्रणाली

वर्तमान समय में, मानीर्टारेग सेवा 721 प्रसारणों को कवर करती है जिनकी अवधि प्रति सप्ताह लगभग 325 घण्टे होती है। ये प्रसारण 20 केन्द्रों से होते हैं और ये 14 भाषाओं में होते हैं। वे हैं– फारसी, रूसी, बर्मी, चीनी, अरबी, तिब्बती, पुश्तों, फ्रेंच, नेपाली, उर्दू, कश्मीरी, हिन्दी, बंगला और अंग्रेजी।

CHAPTER XVIII

MONITORING SERVICE

History

18.1.1. The outbreak of World War II in September, 1939 necessitated a watch on the enemy broadcasts for collecting material for military intelligence for counter-propaganda and analysis of international situation. A department styled as MI—VIII (Military Intelligence VIII) was created at Delhi in November, 1939 under the General Staff Branch of the Army Headquarters. The office was moved to Simla in February, 1940. In 1941, the MI—VIII was rechristened as Monitoring Service and placed under the direct control of the newly created Department of Information and Broadcasting. The war years saw a considerable expansion in the activities of this Service and by 1945, broadcast from 13 foreign stations were being monitored in different Indian and foreign languages. In addition, the Service set up a Message Unit which monitored messages from Indian and British prisoners of war and civilian internees and forwarded them on behalf of the Red Cross to their relatives. In May, 1946 the Monitoring Service was placed under the direct control of Director General, All India Radio.

18.1.2. The archives of the Monitoring Service can boast of possessing recordings and transcriptions of speeches made during the World War II by leading leaders of Axis powers including Adolph Hitler and Mussolini as well as of Netaji Subhash Chandra Bose and other top leaders of the Azad Hind Army.

18.1.3. After the independence of the country, the Monitoring Service has seen noteworthly expansion and has been providing materials from numerous broadcast on its monitoring schedule for inclusion in AIR News Bulletins. Todays' Radio Report issued daily by the office, contains commentaries and comments which are not generally covered in news agencies despatches and are thus an additional source of intelligence and analysis of international situation by the Ministries of External Affairs, Defence, Home, Information and Broadcasting and other Departments to whom the Report is despatched.

18.1.4. The Monitoring Service has many 'firsts' to its credit. For example, it was the first with coverage of the overthrow of King Zahir Shah in Afghanistan in 1967. World Radio Stations such as BBC, VOA and Pakistan quoted AIR as source. The Monitoring Service, which can rightly be described as the ears of the Government, has been extra alert during Sino-Indian conflict of 1962 and Pakistan-Indian wars of 1965 and 1971.

18.1.5. The Monitoring Office was shifted to the modern and most sophisticated complex at Aya Nagar, New Delhi in April, 1981 to facilitate rapid and smooth liaison with the News Services Division. The need to house it nearer the AIR Headquarters was acutely felt during the Chinese aggression of 1962 and Pak aggression in 1965 and 1971 to keep the government posted with minute to minute international developments and world reactions.

Coverage & working of Monitoring Service

18.2.1 At present, the Monitoring Service covers about 721 broadcasts running into 325 hours approximately every week from 20 stations in 14 languages namely, Persian, Russian, Burmese, Chinese, Arabic, Tibetan, Pushtu, French, Nepalese, Urdu, Kashmiri, Hindi, Bengali and English.